भारतीय राजनीति का धर्म के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Neelam Devi*

Research Scholar, Department of Political Science, Kurukshetra University, Kurukshetra

***शोध-आलेख सार:** भारत में साम्प्रदायिक राजनीति का प्रारम्भ ब्रिटिश काल में हो गया था, क्योंकि अंग्रेज भारत में 'फूट डालो राज करो' की अपनी नीति के तहत हिन्दू एवं मुसलमानों को लड़ाते रहे और यहां शासन करते रहे। उनकी इस कुटनीति की परिणति अगस्त, 1947 में भारत के विभाजन में हुई। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया जिसके द्वारा भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 'धर्म-निरपेक्ष' शब्द संविधान की प्रतावना में जोड़कर यह एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत में सामप्रदायिकता जारी रही। साम्प्रदायिकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए 40 वर्षो के अंदर देश में लगभग 5000 साम्प्रदायिक घटनाएँ घटीं। 1961 में साम्प्रदायिक तनाव की दृष्टि से देश में 61 जिले गड़बड़ी वाले माने गए थे, जबकि 1987 में इनकी संख्या बढकर 98 हो गयी। दिसम्बर, 1992 में अयोध्या में हुई घटना ने तो सम्पूर्ण देश को अपनी चपेट में लिया था। 2002 में गुजरात में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में हजार से भी अधिक लोगों की हत्या एवं सितम्बर, 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में 63 लोगों का मारा जाना सिद्ध करता है कि साम्प्रदायिकता हमार सार्वजनिक जीवन का एक अंग बन गयी प्रतीत होती है। पिछले कुछ वर्षों से तो यह भारतीय राजनीति पर पूरी तरह छा गयी है। आज अधिकतर राजनीतिक दल साम्प्रदायिक राजनीति का खेल खेल रहे हैं, किन्तु प्रत्येक राजनीतिक दल स्वयं को 'धर्म-निरपेक्ष' और अपने प्रतिद्वंद्वी दलों को साम्प्रदायिक अथवा 'छद्म धर्म-निरपेक्ष' बताता है।*

***मुख्य-शब्द:** संघीय शासन-प्रणाली, एकात्मक व्यवस्था, भारतीय संविधान, साम्प्रदायिकता।*

---------------------------------X---------------------------------

भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव- भारतीय राजनीति को धर्म व्यापक रूप से प्रभावित करता है। राजनीति में धर्म कर प्रयोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है और धर्म के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। जनता से की जाने वाली अपीलें, उसे दिए जाने वाले आश्वासन, निर्वाचन व प्रत्याशियों के चयन तथा मतदान-संबंधी व्यवहार में धर्म का राजनीतिक स्वरूप उभर कर सामने आता है। रजनीति में धर्म के प्रभाव का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हिन्दू-मुश्लिम एकता का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले उŸार प्रदेश की राजनीति को धर्म प्रदूषित कर दिया है। धर्म और राजनीति के इस घालमेल को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है-

धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन- धर्म का राजनीतिक दलों पर प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों से तो इसका अटूट संबंध है। भारत में राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर ही हुआ है। शिरोमणि अकाली दल, रामराज्य परिषद्, हिन्दू महासभा, शिव सेना, मुश्लिम लीग आदि दलों का निर्माण धार्मिक आधार पर ही हुआ है। स्वाभाविक रूप से ऐसे राजनीतिक दल धर्म को राजनीति में प्रधानता प्रदान करेंगे। भारत में इस प्रकार के दल धर्म के आधार पर चुनावों में उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं और धर्म के नाम पर मतदाताओं से वोट की अपिल करते हैं। ये चुनावों में धार्मिक मुद्दों, जैसे- गौ-वध पर प्रतिबंध एवं अयोध्या में राम लला के मन्दिर का निर्माण को उछालते हैं। इस संबंध में मोरिस जोन्स की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है, ''यदि साम्प्रदायिकता को संकुचित अर्थ में लिया जाए अर्थात् कोई राजनीतिक दल किसी विशेष धार्मिक

www.ignited.in

समुदाय के राजनीतिक दाँवों की रक्षा के लिए बना हो, तो कुछ दल ऐसे हैं, जो स्पष्ट रूप से अपने को साम्प्रदायिक कहते हैं, जैसे- मुश्लिम लीग, जो भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में रह गयी है और जो मालावार मोपला सम्प्रदाय के बल पर केरल में ही शक्तिशाली है, सिक्खों का अकाली दल जो सिर्फ पंजाब में ही है, हिन्दू महासभा, जो सिद्धांत रूप में एक अखिल भारतीय दल है, किन्तु मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में शक्तिशाली है।"

यदि 'साम्प्रदायिक' शब्द का व्यापक अर्थ लिया जाए अर्थात् हिन्दू समाज के भीतर किसी धार्मिक, सामाजिक समुदाय के साथ संबंध के रूप में लिया जाए, तो सभी दलों में किसी-न-किसी स्तर पर और कुछ-न-कुछ मात्रा में ऐसी साम्प्रदायिकता अवश्य देखने को मिलती है। यहां तक कि कांग्रेस भी इससे मुक्त नहीं है, क्योंकि केरल में ईसाई समुदाय के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहा है, जिसे संकुचित दृष्टि से साम्प्रदायिक कहा जा सकता है। यहां तक कि साम्यवादी दल ने भी कुछ जगहों पर और कतिपय उद्देश्यों के लिए साम्प्रदायिक क्षेत्र तैयार किए हैं।

चुनावों पर धर्म का प्रभाव- भारत में चुनावों में अधिकांश राजनीतिक दल प्रकारान्तर से धर्म के नाम पर मतदाताओं से मत देने की अपील करते हैं। यहां जनता के अधिक-से-अधिक मत बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरियों एवं साधुओं के फतवे जारी कराए जाते है। मार्च, 1977 जनवरी, 1980 तथा नवम्बर, 1989 के लोकसभा चुनावों के समय दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की भूमिका से भली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि ये धार्मिक नेता राजनीतिक दलों से अपने समुदायों के मतों का किस तरह से सौदा करते हैं। 1977 व 1980 के आम चुनावों में राजनीतिक दलों के नेताओं की भांति शाही इमाम ने चुनाव सभाओं में भाषण दिए थे और मुश्लिम मतदाताओं को एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान देने के लिए प्रेरित किया था। नवीं और दसवीं लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दू मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए धर्म का सहारा लिया था। इतना ही नहीं, आज तो धार्मिक नेता स्वयं भी चुनाव लड़ने लगे हैं और चुनावों में विजयी होने के बाद संसद की शोभ बढाने लगे हैं। अगस्त 2007 में उप-राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तीसरे मोर्चे द्वारा मुस्लिम व्यक्तियों को अपने उम्मीदवार के रूप में उतारना सिद्ध है कि उम्मीदवारों के चयन में धर्म की प्रमुख भूमिका होती है।

धार्मिक दबाव समूहों का अस्तित्व- आज अनेक धार्मिक संगठन राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका निभाते नजर आते हैं। ये संगठन शासन पर अपने समुदाय के पक्ष में कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं और अनेक अवसरों पर अनुकूल कानून बनवाने में सफल भी हो जाते हैं। वैसे तो इस कार्य को थोड़ा बहुत सभी धार्मिक संगठन करते आ रहे हैं, किन्तु मुश्लिम संगठन, जैसे- जमायते-उल-उलेमा-ए-हिन्द, अमारते शरिया, जमायते इस्लामी इस कार्य में आगे हैं। इन संगठनों ने कम-से-कम तीन बातों- उर्दू भाषा को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, मुश्लिम पर्सनल कानून में कोई संशोधन न किया जाना एवं अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाना के विषय में सरकारी नीतियों को प्रभावित करके दबाव समूह की भूमिका का ही निर्वाह किया है। इसी प्रकार मुश्लिम साम्प्रदायिक संगठनों ने सरकार पर दबाव डालकर शाहबानों वाले मुकद्मे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बेअसर करने के लिए मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम बनवाया था।

पृथक राज्यों की मांग स्थापना की- भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग भी की गयी है। अकाली दल के मास्टर तारासिंह वाले गुट ने जुलाई, 1965 में 'सेल्फ डिटरमिण्ड स्टेट्स ऑफ़ सिक्खस विदिन दी यूनियन ऑफ़ इण्डिया' नामक प्रस्ताव पारित किया था। इसके कुछ समय बाद 11 दिसम्बर, 1966 को अकाली दल के इसी घटक ने 'सिक्ख होमलैण्ड' का प्रस्ताव पारित किया था। इसी प्रकार 1970 में अकाली नेता जगजीत सिंह चैहान, जो लक्ष्मण सिंह गिल के मंत्री रह चुके थे, ने खालिस्तान का नारा बुलन्द किया, जो 1980-81 तक आते-आते पृथक खालिस्तान की मांग में बदल गया। 1982-83 में अकाली दल के एक गुट ने 'सिक्ख एल ए सैपरेट नेशन' नामक प्रस्ताव पारित किया था। 1986 में 'पंथक कमेटी' नामक आतंकवादी संगठन ने स्वर्ण मन्दिर परिसर में खालिस्तान राज्य की घोषणा की थी। इसी प्रकार नागालैण्ड के ईसाइयों की पृथक राज्य की मांग का आधार भी धार्मिक निष्ठा ही थी।

सरकारों का धार्मिक आधार पर गठन- भारत में केंद्र एवं राज्यों में सरकार का गठन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उसमें प्रमुख समप्रदायों एवं धार्मिक विश्वास वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए। सरकार के धार्मिक आधार पर गठन अथवा निर्माण का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जून, 1991 में गठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी एक मुस्लिम व्यक्ति को शामिल किया गया था। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय का होना और इसे अल्पसंख्यक

www.ignited.in

समुदाय से संबंधित व्यक्ति को सौपना यह सिद्ध करता है कि सरकारों के गठन के कार्य को धर्म प्रभावित करता है।

लोकसभा में आंग्ल-भारतीयों की नामजदगी- भारतीय संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि यदि चुनावों के माध्यम से लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा की सदस्यता के लिए मनोनीत कर सकता है।

राज्य-राजनीति पर धर्म का प्रभाव- भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव राज्य-राजनीति के स्तर पर और भी अधिक है। इसका उदाहरण पंजाब और केरल राज्य की राजनीति है। केरल की राजनीति का आवरण भले ही वामपंथी राजनीति में रंगा हुआ प्रतीत होता हो, किन्तु इसका अन्तरंग धार्मिक और साम्प्रदायिक गुटों के गठजोड़ से ही बनता है। केरल राज्य में कई साम्प्रदायिक दबाव समूह जैसे-नायर सर्विस सोसाइटी, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम और अनेक ईसाई संगठन क्रियाशील हैं, जो शासन की नीति को सशक्त रूप से प्रभावित करते हैं। इस राज्य की राजनीति पर धर्म के प्रभाव का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रगतिशील समझे जाने वाले साम्यवादी दल भी इन धार्मिक गुटों से ताल-मेल बिठाकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। धर्म के राजनीति पर प्रभाव का एक अन्य उदाहरण पंजाब प्रस्तुत करता है, जहां अकाली दल की आन्तरिक राजनीति सशक्त और समृद्ध शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक का कार्य देखती है, के चुनाव अकाली दल की राजनीति को प्रभावित करते हैं और अकाली दल की राजनीति पंजाब की राजनीति को प्रभावित करती है। पंजाब राजनीति पर धर्म के प्रभाव का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अकाल तख्त द्वारा जारी फरमान अकाली मुख्यमंत्री तक की किस्मत का फैसला करता है।

तृष्टीकरण की नीति- भारत में राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के उद्देश्य से धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रसन्न करने की नीति अपनाते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने के लिए अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बनाये रखा गया है और 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पी. वी. नरसिंहा राव सरकार ने अपने शासन काल के अन्तिम दिनों में ईसाइयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करने की विनती की थी, किन्तु राष्ट्रपति ने इंकार कर दिया था। इसी प्रकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रसन्न रखने के लिए मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम बनाया गया।

बहुसंख्यक सम्प्रदाय का विकास- पिछले कुछ समय से देश में बहुसंख्यक सम्प्रदाय का विकास हुआ है। जब कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम लोगों को खुश करने अपना वोट बैंक बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप संघ परिवार से संबंधित संगठनों द्वारा भारत को 'एक संस्कृति, एक राष्ट्र और एक समुदाय' बनाने का संकल्प लिया गया। इसी समय गर्व से कहो 'हम हिन्दू है' जैसे नारे भी दिए गए। संघ परिवार के ऐसे नारों से बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता के विकास के साथ-साथप अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना और धार्मिक कट्टरता उत्पन्न हुई है। स्पष्ट है कि भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या गम्भीर रूप धारण किए हुए है। बढती हुई साम्प्रदायिकता के कारण कुछ सम्प्रदाय राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग जा रहे हैं और इनमें अलगाववाद की प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं। साम्प्रदायिकता देश की एकता व अखण्डता की जड़ों को कमजोर कर रही है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है।

साम्प्रदायिकता को कम करने के उपाय- भारत में साम्प्रदायिकता के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-

1. साम्प्रदायिकता के आधार पर गठित राजनीतिक दलों तथा अन्य संगठनों पर पाबंदी लगायी जानी चाहिए।

2. चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए आचार-संहिता तैयार की जानी चाहिए और इसका पालन कठोरता से करवाया जाना चाहिए।

3. साम्प्रदायिकता के प्रभाव को कम करने के लिए मुस्लिम लोगों की सामाजिक, आर्थिक अशाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, पिछड़ापन भी इसका मुख्य कारण है।

4. साम्प्रदायिकता की भावना को कम करने के लिए स्कूलों तथा कॉलेजों में छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनमें धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास हो। इस संबंध में रेडियो, दूरदर्शन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

5. साम्प्रदायिकता को कम करने के लिए सरकार को राज्य तथा जिला स्तर पर 'शान्ति परिषदें' स्थापित करनी चाहिए। इन परिषदों में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के इनकी नियमित बैठकें होनी चाहिए, जिससे की साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने

के उपायों पर विचार किया जा सके और उन उपायों को लागू किया जाएं

6. साम्प्रदायिकता को कम करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं द्वारा सकारात्मक भूमिका निभई जाए। इनके द्वारा लोगों को आपसी भाईचारा, शांति तथा सहनशीलता का पाठ पढाया जाना चाहिए।

7. साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए विशेष पुलिस बल का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी सम्प्रदायों के व्यक्ति शामिल होने चाहिए। ऐसे पुलिस बल को साम्प्रदायिक दंगो से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

8. साम्प्रदायिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। साधारण न्यायालयों के पास अधिक कार्य-भार होने के कारण मुकद्मों के निर्णय में लम्बा समय लग जाता है, जिससे निर्णय का असर कम हो जाता है।

9. भारत में पिछले कुछ वर्षों से सिद्धांतहीन राजनीति का विकास हुआ है, जिसने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें से एक समस्या नेताओं द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए धर्म का प्रयोग करना है। अतः आवश्यक है कि देश में 'सिद्धांतों पर आधारित' राजनीति का विकास किया जाए।

10. साम्प्रदायिकता की भावना को कम करने के लिए लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाचार-पत्र, रेडियो, शिक्षा संस्थाएँ तथा दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

11. सरकारी शिक्षण संस्थाओं अथवा सरकारी से अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं में किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, जैसे सरस्वती वदना व हवन पर प्रतिबंध लगाया जाए

12. रेडियो व दूरदर्शन पर पीरों, मजारों व देवी-देवताओं को महिमा-मण्डित करने वाले धार्मिक अनुष्ठानों व उत्सवों-संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 कुमार डॉ. राकेश 'हरिाणा में क्षेत्रीय दलों की भूमिका प्रमुखत्या इनेलो का अध्ययन' पी.एच.डी. शोध ग्रन्थ, 2017

2 चौधरी नीरजा 'मोदी प्रभाव विस्तार' दैनिक जागरण, रोहतक, 20 अक्टूबर 2014।

3 खेड़ा हरीश 'जिसकी दिल्ली उसका हरियाणा' अमर उजाला, रोहतक 27 अगस्त 2014।

4 बंसल पवन 'हरियाणा में पहली बार भाजपा बहुमत के साथ' जनसत्ता, दिल्ली, 20 अक्टूबर 2014।

5 यादव के.सी. 'सर छोटू राम (1881-1945) अन्डरसटैन्डिग हिज पालिटीकल आडियालाजी वल्ड वियू अचीवमेंट, जरनल आफ पियूप्ल एण्ड सोसायटी आफ हरियाणा', बिनायल पब्लिकेशन ऑफ़ म.द.वि., रोहतक, अप्रैल 2010

6 चौधरी डी.आर. 'हरियाणा इल्यूजन एण्ड रियलिटि फेडरल इण्डिया पब्लिशर', चण्डीगढ 1999

7. दहिया भीम सिंह 'हरियाणा में सत्ता की राजनीति: जाति व धन का खेल' ज्ञान प्रकाशन, नई दिल्ली 2009

8. कश्यप सुभाष 'दल-बदल व राज्य की राजनीति' श्रीवाली प्रकाशन, मेरठ 1970

9. यादव जे.एन. सिंह 'हरियाणा स्टडी ऑफ़ हिस्ट्री एण्ड पॉलिटिक्स प्रकाशन मनोहर', गुरूग्राम 1976

10. चाहर एस.एस. 'डाइनामिक्स ऑफ़ इलैक्ट्राल इन हरियाणा प्रकाशन संजय, नई दिल्ली 2008

11. मितल, एस.एस., 'हरियाणा: ए हिस्टोरिक्ल पर्सपेक्टिव' प्रकाशन एटलांटिक, नई दिल्ली, 1976।

12. कश्यप सुभाष, 'गठबन्धन की सरकार और भारत में राजनीति', प्रकाशन एन. बी.डी.टी, नई दिल्ली, 1997

13. सुरेन्द्र कटारिया, भारत में लोक प्रशासन, आरबीएसए पब्लिशर्स, जयपुर, पेज-221.

www.ignited.in

14. एन.एस. कहलोत, न्यू चैलेन्ज टू इंडियन पोलीटिक्स टीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, प्रा. लि, दिल्ली.

15. रमेश अरोरा, रजनी गोयल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीटयूट एण्ड इश्यू, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली

16. एम.पी. सिंह, हिमांशु राय, इंडियन पोलिटिक्स सिस्टम, मानक पाब्लकेशन, नई दिल्ली।

17. The Search for a perfect Bill, The Indian Express, 28 Aug 2011.

18. Victory for Anna, Parliament adopt's Sense of house on Lokpal Bill' Times of India 27 Aug 2011.

19. Lok Sablha Debate, Sushma Swaraj Says BJP supports Hazzare 3 Must have Point, NDITV 27 Aug 2011.

20. C.L. Baghel, Yogander Kumar, Public Adminstration, Vol-2, Knishka Publication, New Delhi.

Corresponding Author

Neelam Devi*

Research Scholar, Department of Political Science, Kurukshetra University, Kurukshetra

nilam1126@gmail.com